स्व. लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय

मोहला, जिला – राजनांदगाँव (छ.ग.)

Website : www.naveencollege.com
E-mail ID : principal_gncmohla@rediffmail.com, Contact No. : 07747 - 299104
College Code : 1915

विद्या विनय विवेक

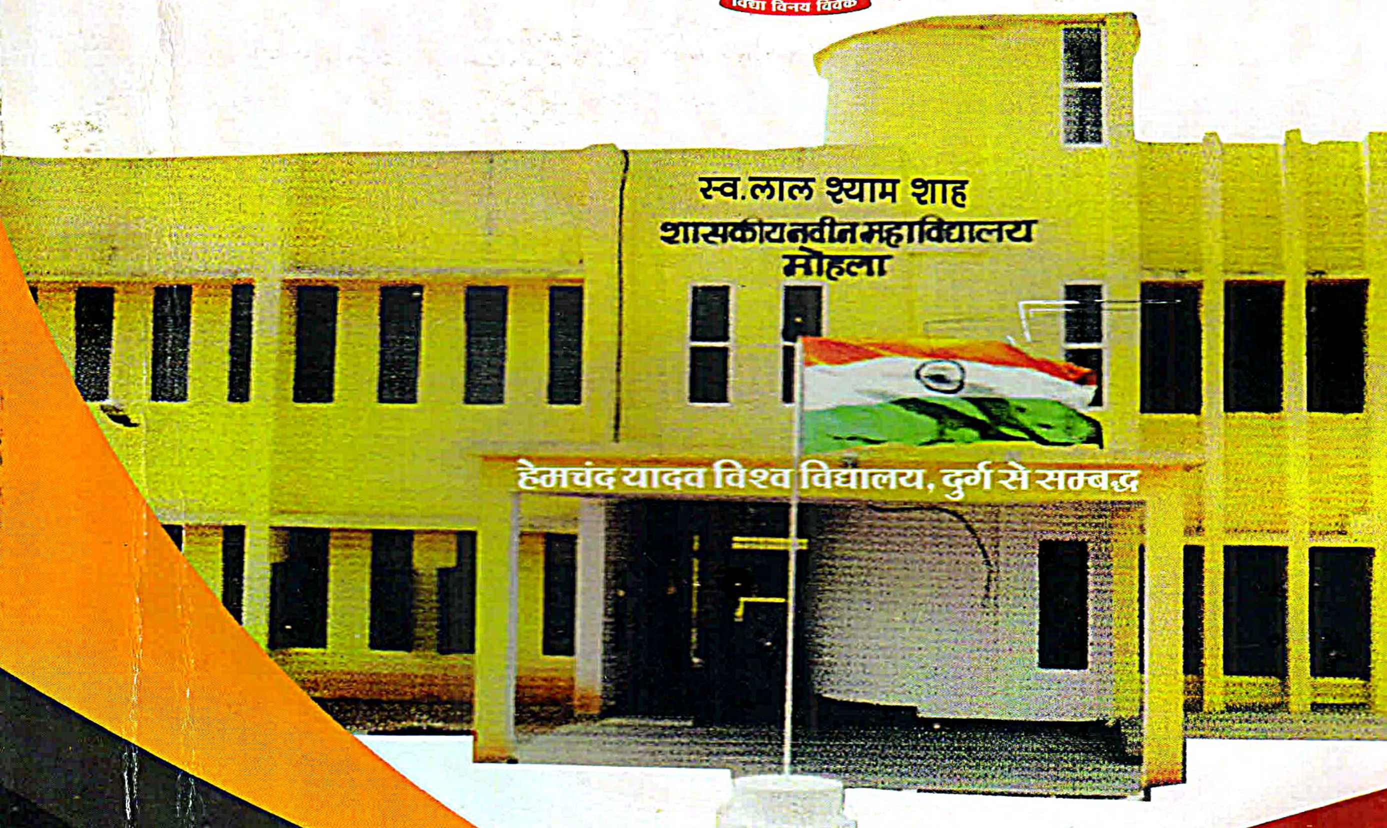

सत्र : 2022–23

विवरणिका

मूल्य - 50 रू.

प्राचार्य की कलम से ......

मोहला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों के अनवरत प्रयास से मोहला में शासन ने अगस्त 2007 सत्र से महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। निश्चित ही मोहला जैसे आदिवासी तथा पिछले इलाके के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है।

आजादी के बाद हमारे देश के महान नायकों ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना के विकास के साथ वंचित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिले, उनमें ज्ञान तथा चेतना का विकास हो, ये आर्थिक रुप से संपन्न हो तथा सभ्य समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। इसके लिये संविधान में कई व्यवस्थाएं दी गई है। इन व्यवस्थाओंके क्रियान्वयन में भले ही कुछ देर हुई तो लेकिन इसकी पहल जारी है। मोहला में उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना इसी की एक कड़ी है।

इस क्षेत्र के विद्यार्थयों को इसका लाभ मिलेगा। वे उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए आगे आये। मेरी उन्हें कोटिशः शुभकामनाएं।

सत्र 2016-17 से स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी एवं भूगोल की कक्षाएँ संचालित करने की स्वीकृति छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा प्रदत्त की गई है।

प्राचार्य
स्व.लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं.1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव-मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :– रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश :–

- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए
- नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आयात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- नंगा करना, चुंबन लेना आदि
- अन्य अश्लीलताएं करना।

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
4. परीक्षाओं से वंचित करना
5. परीक्षा परिणाम रोकना
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना
8. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/- तक

कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **प्रयुक्ति –** ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालय में लागू होंगे ।

2. **प्रवेश की तिथि**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रो सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना- पटल पर कम से कम सात दिन के पूर्व लगाई जावेगी। बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण छोड़कर 30 जून अथवा शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कुलपति की अनुमति से 30 जुलाई तक प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही, प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबधित विश्व विद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी ।

2.4 स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश पूरक परीक्षा रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी ।

3. **प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्ययन के विषयों का निर्धारण –**

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपभोग्य सामाग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारत है :-

1. बी.ए.भाग एक	200	4. बी.एस.सी.भाग एक (गणित)	60
2. बी.कॉम भाग एक	80	5. एम.ए.हिन्दी	25
3. बी.एस.सी.भाग एक (बायो)	150	6. एम.ए. भूगोल	25

प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन विषय / समूह निम्नानुसार होंगे।

बी.ए.भाग-एक पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल हिन्दी साहित्य

बी.एस.सीं.- भाग एक (बायो ग्रुप) पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल

बी.कॉम - भाग एक पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं वाणिज्य के सभी अनिवार्य विषय

बी.एस.सी. भाग एक (गणित ग्रुप) पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल

एम.ए. हिन्दी पूर्व, एम.ए. भूगोल पूर्व

4. **प्रवेश सूची**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना- पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाणपत्रों से मिलानकर प्रमाणित किये जाने के उपरान्त एवं जहां आवश्यक हो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जायेगा ।

4.4 प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरण में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात की अनुमति नही दी जायेगी ।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

(क) छ.ग. मूल/स्थायी छ.ग. में स्थायी संपतिधारी निवासी/राज्य केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा जिनका पदांकरन छ.ग. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश -

(क) 1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमिडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

2. विज्ञान संकाय में गणित/जीव विज्ञान में प्रवेश हेतु आवेदित विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण हो।

3. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु वाणिज्य/विज्ञान/गणित या सांख्यकीय के साथ कला संकाय के विषय लेकर उत्तीर्ण हो।

4. कला संकाय प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। कृषि/गृह विज्ञान अन्य विषय समूह लेकर उत्तीर्ण आवेदकों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.3 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा -

(क) स्नातक एवं स्नाकोत्तर प्रथम वर्ष अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अंक 50% एवं सैद्धांतिक विषयों का 45% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य कंडिका 5.4 (क) में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवश्यक शिथिलता प्रदान कर प्रवेश देने के लिए अधिकृत रहेंगे न्यूनतम अंक सीमा में अधिकतम 5% तक

(ग) प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नही होगी।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा/पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5% छूट प्रदान की जावेगी।

6. **समकक्ष परीक्षा –**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी (सी.बी.एस.ई) तथा राज्यों के स्कूल/इंटरमिडियट बोर्ड की 10+2 परीक्षाएं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

6.2 सामान्यतया भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय वि.वि.संघ (एसोशियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छ.ग. के वि.वि. की परीक्षाओं के समकक्ष मान्य है, उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.कॉम (डायरेक्ट) वन सीटिंग परीक्षा मान्य नहीं है ।

6.3 संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य है उन्हीं को प्रवेश पात्रता होगी।

7. **बाह्य आवेदकों को प्रवेश –**

7.1 स्नातक स्तर (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) के छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूह में आवेदको ने पिछ्ली परीक्षा दी है। इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यकतानुसार विश्व - विद्यालय से पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.2 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को ही 30 नवम्बर निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकेगी।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता –**

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारत अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा में एक विषय के पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदकों की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.3 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के में रुप मान्य होगा।

9. **प्रवेश हेतु अर्हताएं –**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/ अध्ययन छोड़ देने/ अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/ छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु नहीं माना जायेगा। उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो/ परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने की गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परीलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/ छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्रा को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत हैं।

9.4 स्नातक स्तर पर 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। सभी अ.जा./अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग महिला/ विकलांग आवेदको के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जावेगी।

9.5 पूर्ण कालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उनकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

10.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एंव जहां अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

10.3 सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र, तत्पश्चात् स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

11.2 स्नातक अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान उसके निवास स्थान तहसील/जिला से स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य अपने नगर/तहसील/जिला की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदको को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दे सकते है। आवेदकों के निवास स्थान/ तहसील/ जिला में स्थिति आस-पास के अन्य जिलों के समीप स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।

12. आरक्षण– छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदको के लिए क्रमशः 12 एवं 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनो वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होगा।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदको के लिए 14% स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र- पुत्रियों एवं उनके पुत्र- पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित होंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10% अधिभार अंकों को देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन काम्पीटिशन) में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है। तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी और शेष संवर्ग भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 के कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थाान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की निर्धारित तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

13. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाणपत्र प्रवेश- आवेदन के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने वाले जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस. स्काउट्स

स्काउट शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/ रावर्स के अर्थ में पढ़ा जाये

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	-	2 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	-	3 प्रतिशत
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	-	4 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन ए.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का)	-	4 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म.प्र. के एन.सी.सी एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी का	-	5 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	-	6 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	-	10 प्रतिशत
(झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ट अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	-	15 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग आवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	-	15 प्रतिशत
(य) भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्रोम एन.सी.सी के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले स्काउट्स को	-	15 प्रतिशत

13.2 खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक/ क्विज/ रुपांकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा म.प्र. उच्च शिक्षा संचालनालय आयोजित अंतर जिला (संभाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर (संभाग/श्रेत्र स्तर) प्रतियोगिता में

(क) प्रथम,द्वितीय, तृतीय सीन प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	-	2 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	-	4 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1 उल्लेखित संचालनालयों द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रिय, राष्ट्रीय) प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य

मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 6 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 7 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 5 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालयसरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान / सांस्कृतिक साहित्यिक / कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवासकरने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छ.ग. प्रतिनिधित्व करने वाले वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके आश्रित को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन -

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ऑलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकेगा, जिनकी उन्हे पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को संचालक, खेल संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्रों स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रनाण पत्र के प्रमाणपत्र अधिभार हेतु सत्र के प्रमाणपत्र हेतु मान्य होंगे

14. **संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन**

(क) यदि कोई विद्यार्थी स्नातक प्रथम में अर्हकारी परीक्षा के संकाय /विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके उसके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा

(ख) महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर या विलम्ब से मुख्य परीक्ष परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में निर्देशित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी । यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनको प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. **विशेष -**

(1) जाली प्रमाणपत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, शासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

(2) प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है ।

(3) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.3 एवं 9.4 में वार्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त अथवा उसे निष्काषित करने का अधिकार प्राचार्य है

(4) प्रवेश के बाद विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई वापस नहीं किया जायेगा।

(5) इस मार्गदर्शन सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग.शासन रायपुर को है।

(6) इस मार्गदर्शन सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न का संपूर्ण अधिकार केवल उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन / मंत्रालय को है। उच्च शिक्षा द्वारा जारी ऐसे परवर्तीय आदेशों को इस सिद्धांतों के परिशिष्ट के रूप में संलग्न माना जायेगा।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र –

छात्र-छात्राओं को आवेदन महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। जिसे कार्यालय से आवश्यक शुल्क देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा।

(1) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल उन्ही आवेदक के लिए जो गत वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे)

(2) नये छात्र / छात्राओं के लिए पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियां (एक प्रति आवेदक के लिए निर्धारित स्थान पर चिपकाएं तथा दूसरी प्रति परिचय-पत्र के लिए यूपिन से या आलपिन से लगायें) गत वर्ष के छात्र अपना परिचय पत्र संलग्न करें।

(3) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, अंकसूची की प्रमाणिक सत्य सत्यलिपि। जाति / निवास / आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित

(4) आधार कार्ड / बैंक पासबुक की छायाप्रति सत्यापित / ब्लड ग्रुप / ई-मेल आई.डी.

(5) चरित्र संबंधी नवीनतम दो प्रमाण पत्र (दो भिन्न व्यक्तियों से लिये गये) ये प्रमाण पत्र केवल उन्हीं छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाये जिन्होने गत परीक्षा स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की है।

(6) नियोक्ता का प्रमाण पत्र (केवल उन्ही छात्र / छात्राओं के लिए आवश्यक है जो सेवारत है)

(7) प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक किसी अन्य विश्वविद्यालय / बोर्ड से आया है।

(8) अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग छात्र / माता पिता के छत्तीसगढ़ शासन में द्वितीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र।

(9) मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने का प्रमाण पत्र।

(10) गैप होने पर छात्र का शपथ-पत्र निम्नलिखित प्रारूप देना होगा। (गैप वर्षों के लिए)

शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं .... आत्मज / आत्मजा .... पता ग्राम / वार्ड ....

निवासी पता .... यह शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूं कि

1. मैने सत्र.............................. से सत्र ....किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया हूँ।

2. मैने इस दौरान उपर्युक्त अवधि में किसी भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन में परीक्षा के लिए न तो कभी आवेदन किया है और न ही परीक्षा में बैठा / बैठी हूँ।

गवाह के हस्ताक्षर -

1. ....

2. ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

शुल्क –

विश्वविद्यालय शासन की महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, जिसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

शुल्क विवरण निम्नानुसार है -

1.	शिक्षण शुल्क -		वार्षिक
	(अ) बी.एस.सी.भाग-1 / बी.ए.भाग 1 / बी.कॉम.भाग-1	-	115.00
	(ब) एम.ए.भाग-1	-	126.00
2.	प्रायोगिक शुल्क	-	40.00
3.	स्टेशनरी शुल्क	-	5.00
4.	प्रवेश शुल्क	-	5.00
5.	छात्र संघ कल्याण शुल्क	-	10.00
6.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	-	15.00
7.	परिचय-पत्र	-	30.00
8.	महाविद्यालय विकास शुल्क	-	100.00
9.	तिमाही / छःमाही / फ्री वार्षिक मूल्यांकन शुल्क	-	50.00
10.	सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियां 20/- क्रीड़ा 12/-)	-	32.00
11.	सोशल गेदरिंग (स्नेह सम्मेलन)	-	50.00
12.	चिकित्सा शुल्क	-	20.00
13.	छात्रा कामन रुम फीस (वाचनालय इत्यादि)	-	20.00
14.	महाविद्यालय प्रबंधन समिति अतिरिक्त विकास शुल्क	-	400.00
15.	रेडक्रास सोसायटी शुल्क	-	25.00

धरोहर राशि –

1.	स्नातक - विज्ञान / कला / वाणिज्य	-	100.00
2.	स्नातकोत्तर - विज्ञान / कला / वाणिज्य	-	200.00

विश्वविद्यालयीन शुल्क –

1.	विश्वविद्यालयीन शारीरिक शिक्षा शुल्क	-	150.00

नोट - 1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है, महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुकाहै वह शुल्क पुनः नहीं देना होगा। ऐसे छात्र को, महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क संबंधी रियायतें -

शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्णकालिक छात्र को है -

(अ) छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति है।

(स) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है।

(द) दो से अधिक भाई-इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययनरत हों तो बड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा शेष को आधा शिक्षण शुल्क देय होगा । अन्य शुल्क सभी को देय होगा।

(इ) विद्यार्थी सहायता कोष से भी निर्धन छात्रों (जिसका चयन सहायता कोष समिति द्वारा होगा) को आर्थिक सहायता, शुल्क, पुस्तक आदि उपलब्ध होगी।

पुस्तकालय -

(अ) महाविद्यालय से नियमित स्नातक स्तर के छात्रों को पुस्तक निर्गमित होगी। पुस्तकें समय सीमा में लौटाना आवश्यक होगा। अन्यथा एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा।

(ब) पुस्तकालय की पुस्तकों का रख-रखाव की पूर्ण जवाबदारी छात्र की होगी। निर्गमन के बाद विकृत होने पर पुस्तक या तो नई वसूली जायेगी अथवा वर्तमान मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य तथा पांच रुपये अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

पाठ्येत्तर क्रियाकलाप -

(अ) खेल - कूद -

महाविद्यालय में छात्रों के लिए विभिन्न खेलकूद की सुविधा है - हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबाल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज आदि एथलेटिक्स।

(ब) रेड क्रास योजना -

महाविद्यालय में भारतीय रेडक्रास शाखा युवक रेडक्रास गठित है। रेडक्रास का उद्देश्य युद्ध और शांतिकाल में मानवता की सेवा करना तथा रेडक्रास के संविधान में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त ब्लड सुरक्षा, एच.आई.वी.,एड्स आदि विषयों पर परिचर्चा, गोष्ठी आदि आयोजित करना तथा जन साधारण को इससे संबंधित जानकारीउपलब्ध कराना है। युवक रेडक्रास की सदस्यता शुल्क रु.25/- प्रतिवर्ष देय होगी।

छात्रवृत्तियां -

छ.ग.शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न वर्गो के लिए छात्रवृत्तियां दी जावेगी।

आचार संहिता -

प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो। अनुशासन का सदा पालन करें । कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आंदोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रुप में भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम -

छततीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय व्यवहार का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एनएस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोग शाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उसको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यायन कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. परीक्षा में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

   महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सन्मुख करेंगे।

बुक बैंक - महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बुक बैंक की सुविधा है। परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकों का डेढ़ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है।

विशेष - 1. महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

2. प्रवेश के नियमों में छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

शिक्षक के कर्तव्य :

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग में 7 घंटे रुकना आवश्यक होगा।

प्रातः कालीन पाली के लिए	प्रातः	7:30 से 2:30 अपरान्ह
दिवस कालीन पाली के लिए	प्रातः	10:30 से 5:30 सायं

7 घंटे का ब्रेक अप : 6 घंटे अध्ययन-अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोध कार्य, लाईब्रेरी वर्क सम्मिलित) 1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य) पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों का शंका समाधान करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

- प्रत्येक विषय में 75 उपस्थिति अनिवार्य।
- कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
- एन.सी.सी.कैंप / एन.एस.एस.कैंप / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
- उपस्थिति की प्रथम गणना .... तक की जायेगी।
- कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
- उपस्थिति की द्वितीय गणना .... तक की जायेगी।
- विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनके अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय मोहला
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

स्वर्ण पदक दान-दाताओं तथा पाने वाले छात्र/छात्राओं के नाम सत्र 20.......-..........

क्र.	स्मृति	दानदाता का नाम एवं पता	छात्र / छात्रा का नाम	कक्षा
1.	स्व.लाल श्याम शाह जी	गोड़ समाज मोहला	....	....
2.	स्व.गौरी शंकर खंडेलवाल जी	श्री नारायण लाल खंडेलवाल	....	....

जनभागीदारी (सामान्य परिषद/प्रबंध/वित्त) सदस्यों की सूची

क्र.	पदनाम	नाम
1.	अध्यक्ष (सामान्य परिषद / प्रबंध समिति)	श्री अब्दुल खालिक (जानू)
2.	उपाध्यक्ष (सामान्य परिषद) कलेक्टर द्वारा मनोनीत	अनु.अधि.राजस्व
3.	सचिव (सामान्य परिषद / प्रबंध समिति) अध्यक्ष वित्त समिति	डॉ.जी.के.जोशी
4.	सदस्य (सामान्य परिषद) सांसद द्वारा मनोनीत	
5.	सदस्य (सामान्य परिषद) विधायक द्वारा मनोनीत	श्री संजय जैन
6.	सदस्य (स्थानीय संगठन)	श्री नारायण लाल खंडेलवाल
7.	सदस्य (स्थानीय संगठन)	श्री राजेन्द्र जुरेशिया
8.	सदस्य (अभिभाषक)	
9.	सदस्य (स्थानीय संस्था)	श्री संतोष निर्मलकर
10.	सदस्य (दानदाता)	
11.	सदस्य (कृषक)	श्री अजय राजपूत
12.	सदस्य (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	डॉ.एम.एल.साव (प्राध्यापक) शास.के.डी.राठी महिला महा.राजनांदगाँव
13.	सदस्य (पोषक शाला)	श्री एच.आर.मंडावी (प्राचार्य)
14.	सदस्य (पूर्व छात्र)	श्री धीरज सिंगने
15.	सदस्य (पूर्व छात्र)	
16.	सदस्य (अनुसूचित जनजाति महिला) सदस्य (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला)	श्रीमती प्रमिला हिड़ामे श्री चेतन साहू
17.	सदस्य (प्रबंध समिति)	
18.	सदस्य (प्रबंध / वित्त समिति)	श्री बी.कुर्रे
19.	सदस्य (वित्त समिति) कोषालय	श्री राजू रंभाड़ (उप कोषालय अधिकारी)

कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र.	पदनाम	नाम	विभाग	मोबाईल नं.
1.	प्राचार्य			
2.	प्राध्यापक (हिन्दी)		हिन्दी	
3.	प्राध्यापक (भूगोल)		भूगोल	
4.	सहा.प्रा.-हिन्दी			
5.	सहा.प्रा.- अंग्रेजी			
6.	सहा.प्रा.- राजनीति			
7.	सहा.प्रा.- समाजशास्त्र			
8.	सहा.प्रा.- भूगोल	श्री बी.कुर्रे	भूगोल/कला संकाय	9074578825
9.	सहा.प्रा.- रसायन शास्त्र	डॉ.जी.के.जोशी	रसायन/प्रभारी प्राचार्य	9424109891
10.	सहा.प्रा.- प्राणी शास्त्र	श्री जी.पी. चंद्रवंशी	प्राणीशास्त्र	7089541942
11.	सहा.प्रा.- वनस्पति शास्त्र			
12.	सहा.प्रा.-भौतिक शास्त्र			
13.	सहा.प्रा.- गणित	श्री रुपलाल मंडावी	गणित	8357991126
14.	सहा.प्रा.- वाणिज्य	सुश्री पूनम खरे	वाणिज्य	7067006605
15.	सहा.प्रा.- वाणिज्य	श्री नागेश मंडावी	वाणिज्य	9755886831
16.	सहायक ग्रेड - एक			
17.	सहायक ग्रेड - दो	श्री ए.के.वर्मा	लेखा/स्थापना	9424133933
18.	सहायक ग्रेड - तीन	श्री डी.आर.सिंह	आवक-जावक	9424138380
19.	प्रयोग.तकनीशियन	श्री आई.के.देशमुख	भूगोल/भंडार	9424138589
20.	प्रयोग.तकनीशियन	श्री जी.एल.गवर्ना	ग्रंथालय/छात्रवृत्ति	9425560235
21.	प्रयोग.तकनीशियन	श्री एच.के.बोरकर	विज्ञान/क्रीड़ा	9755914524
22.	भृत्य	कु.आर.बोरकर	कार्यालय	8966018250
23.	भृत्य	श्री तोरन लाल	कार्यालय	9406409531
24.	प्रयोग.परिचारक	श्री पूरन नेताम	प्रयोग./ग्रंथालय	7828074292
25.	प्रयोग.परिचारक	श्री भूपेन्द्र कुमार	प्रयोग./क्रीड़ा	9617184220

विश्व एड्स दिवस

संविधान रैली

सड़क सुरक्षा पर परिचर्चा

रेडकास तथा रा.से.यो. के तहत
ब्लड ग्रुप जांच कराते हुए छात्र/छात्राएं

खेलकूद

12 वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यकम

राष्ट्रीय सेवा योजना पर
व्याख्यान जन प्रतिनिधी द्वारा